

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मधुबनी, मधेपुरा एवं शिवहर।

पटना, दिनांक- 21/2/2018

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,11,00,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,11,00,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

क्र0 सं0	जिला का नाम	मधुबनी	मधेपुरा	शिवहर	कुल
1	वेतन	30,00,000	50,00,000	3,00,000	83,00,000
2	जीवन यापन भत्ता	19,85,000	6,00,000	1,80,000	27,65,000
3	मकान किराया भत्ता	5,000	5,000	5,000	15,000
4	परिवहन भत्ता	5,000	0	0	5,000
5	चिकित्सा भत्ता	5,000	5,000	5,000	15,000
	कुल-	50,00,000	56,10,000	4,90,000	111,00,000

(एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

क०प०उ०

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
13. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन



सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मधुबनी, मधेपुरा एवं शिवहर।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,11,00,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक-

2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,11,00,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मधुबनी	मधेपुरा	शिवहर	कुल
1	वेतन	30,00,000	50,00,000	3,00,000	83,00,000
2	जीवन यापन भत्ता	19,85,000	6,00,000	1,80,000	27,65,000
3	मकान किराया भत्ता	5,000	5,000	5,000	15,000
4	परिवहन भत्ता	5,000	0	0	5,000
5	चिकित्सा भत्ता	5,000	5,000	5,000	15,000
	कुल-	50,00,000	56,10,000	4,90,000	111,00,000

(एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

कृ०पृ०उ०

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
10. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
13. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-03/2017 सा0-59 /

पटना, दिनांक-21-2-2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी, मधेपुरा एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव